


आवेदन पत्र मूल्य रू. 1000/-

संपूर्ण मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में
सुदाना पशु आहार विक्रय हेतु
पृथक-पृथक
सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति

ॐ आवेदन प्रपत्र १०



म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल-462024
फोन नं. 0755-2580400, 2580401, 2580402, 2580403



म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल-462024

संपूर्ण मध्यप्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में सुदाना पशुआहार के विक्रय हेतु पृथक-पृथक सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त करने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु सूचना

एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. (एमपीसीडीएफ) भोपाल से संबद्ध दुग्ध संघों के अंतर्गत संचालित पशु आहार संयंत्रों में उत्पादित "सुदाना" पशु आहार के विक्रय हेतु संपूर्ण मध्यप्रदेश एवं अन्य राज्यों में पृथक-पृथक सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन एवं EOI विवरण www.mptenders.gov.in पोर्टल में रूपये 1000.00 जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। EOI का अवलोकन एमपीसीडीएफ की वेबसाइट www.mpcdf.gov.in एवं sanchidairy.com में किया जा सकता है। EOI की मुख्य जानकारी निम्नानुसार है :

EOI आवेदन ऑनलाईन कय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	EOI आवेदन ऑनलाईन जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	EOI आवेदन ऑनलाईन खोलने की दिनांक एवं समय	प्रतिभूति राशि
दिनांक 23.12.2020 अपरान्ह 01.00 बजे तक	दिनांक 23.12.2020 अपरान्ह 02.30 बजे तक	दिनांक 23.12.2020 अपरान्ह 03.00 बजे तक	रूपये 1.00 लाख प्रति आवेदन

प्रबंध संचालक

म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल-462024

संपूर्ण मध्यप्रदेश/अन्य राज्यों में सुदाना पशु आहार के विक्रय हेतु
सुपरस्टाकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र
(मध्यप्रदेश/अन्य राज्य किसी एक को ✓ करें)

- | | | | |
|-----|---|---|---|
| (1) | आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम दिनांक एवं समय। | ■ | 23/12/2020 दोप. 01.00 बजे तक। |
| (2) | आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय। | ■ | 23/12/2020 दोप. 02.30 बजे तक। |
| (3) | आवेदन के साथ जमा की जाने वाली अमानत राशि। | ■ | रु. 1,00,000/- (अक्षरी रु. एक लाख मात्र) |
| (4) | आवेदन के बंद लिफाफे खोलने की दिनांक एवं समय। | ■ | 23/12/2020 दोप. 3.00 बजे। |
| (5) | आवेदन के बंद लिफाफे खोलने का स्थान | ■ | म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल, दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल |
| (6) | सुपर स्टैकिस्ट हेतु तकनीकी अर्हताओं का प्रारूप। | ■ | प्रपत्र 01 |
| (7) | सुपरस्टैकिस्ट हेतु आवश्यक शर्तें। | ■ | प्रपत्र 02 |
| (8) | अनुबंध प्रारूप। | ■ | प्रपत्र 03 |
| (9) | सुपरस्टैकिस्ट हेतु अंक तालिका | ■ | प्रपत्र 04 |

प्रति,

प्रबंध संचालक
म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.
भोपाल

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट
साइज फोटो

विषय :- सुदाना पशुआहार सुपरस्टाकिस्ट संपूर्ण मध्यप्रदेश/अन्य राज्य में
(किसी एक को ✓ करें) नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

सुदाना पशु आहार के विक्रय हेतु सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति हेतु दिनांक
कोसमाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में, मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा
आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्त एवं निर्देश पढ़कर समझ लिये गये है। यदि मेरा आवेदन
स्वीकृत किया जाता है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।
मेरे द्वारा अमानत राशि रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट
क्रमांक दिनांक बैंक संलग्न कर रहा हूँ।

—=0 तकनीकी अहर्तायें 0=—

क्र.	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशिप डीड।
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।		संस्था/फर्म के संचालक मंडल/प्रबंध संचालक का अधिकार पत्र।
4.	आवेदनकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।		छायाप्रति संलग्न करें।
5.	पैन नम्बर		छायाप्रति संलग्न करें।
6.	बैंक खाता क्रमांक		छायाप्रति संलग्न करें।
7.	आवेदक का टर्नओवर न्यूनतम रूपये 5.00 करोड़।		CA द्वारा सत्यापित ट्रेडिंग लेखा।
8.	आवेदक का विगत वर्ष का ITR		छायाप्रति संलग्न करें।
9.	आवेदक का GST नंबर		छायाप्रति संलग्न करें।
10.	आवेदन प्रपत्र के साथ आवेदनकर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन/आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र (रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर)।		आवेदन पत्र के परिशिष्ट-‘अ’ पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न करें।

क्र.	आवश्यक आर्हता	विवरण	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज।
11.	व्यवसाय का अनुभव		
	1. पशु आहार विक्रय का		छायाप्रति संलग्न करें।
	2. अन्य व्यवसाय का		छायाप्रति संलग्न करें।
12.	आवेदनकर्ता एमपीसीडीएफ/ अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बावत् रू. 100/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		आवेदन पत्र के परिशिष्ट-‘ब’ पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न करें।
13.	आवेदनकर्ता दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। (इस बावत् रू. 100/- के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		आवेदन पत्र के परिशिष्ट-‘स’ पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र संलग्न करें।

नोट – उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर स्कोर कार्ड में न्यूनतम 60 से अधिक अंक प्राप्त आवेदक का चयन किया जायेगा। एक से अधिक आवेदनकर्ताओं के समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले आवेदनकर्ताओं का लॉटरी के आधार पर चयन उन सभी आवेदनकर्ताओं के समक्ष लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

नोट :-

1. उक्त समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर सुदाना पशु आहार सुपर स्टाकिस्ट आवेदन अमान्य कर दिया जायेगा।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता _____

दूरभाष/मोबाईल नम्बर _____

ई-मेल _____

म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल
दुग्ध भवन, दुग्ध मार्ग, हबीबगंज, भोपाल-462024

सुदाना पशु आहार सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें

- 1) आवेदक को आवेदन के साथ रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- 2) सफल आवेदक की अर्नेस्ट मनी सुपरस्टाकिस्ट नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अमानत राशि के रूप में सुरक्षित रखी जायेगी।
- 3) संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए मात्र एक सुपरस्टाकिस्ट नियुक्त किया जायेगा जिसके द्वारा वर्तमान में कार्यरत एवं अन्य सुदाना डीलर/रिटेलर्स/वितरक को सुदाना प्रदाय किया जाएगा।
- 4) प्रदेश से जुड़े हुए अन्य प्रदेश यथा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गुजरात राज्यों के लिये पृथक-पृथक सुपरस्टाकिस्ट नियुक्त किया जायेगा।
- 5) मध्यप्रदेश हेतु सुपरस्टाकिस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण म.प्र. में रहेगा, सुपरस्टाकिस्ट की जिम्मेदारी होगी की सम्पूर्ण म.प्र. में सुदाना पशु आहार विक्रय सुनिश्चित करने के लिए नए विपणन मार्ग बनाना, डीलर/रिटेलर नियुक्त करना रहेगा। सुपरस्टाकिस्ट को पशु आहार का प्रदाय निकटतम पशु आहार संयंत्र (मांगलिया, बण्डोल, सागर एवं शिवपुरी) से किया जायेगा।
- 6) प्रदेश के बाहर प्रदाय किये जाने वाले पशु आहार (सुदाना) की पहचान हेतु बैग में पृथक से चिन्हांकन संबंधित पशु आहार संयंत्र द्वारा किया जायेगा। उक्त पशु आहार प्रदेश के अंदर विक्रय नहीं किया जायेगा यह जिम्मेदारी संबंधित सुपरस्टाकिस्ट की रहेगी। इन सुपरस्टाकिस्ट को भी पशु आहार का प्रदाय निकटतम पशु आहार संयंत्र (मांगलिया, पचामा, बण्डोल, सागर एवं शिवपुरी) से किया जायेगा।
- 7) संपूर्ण मध्यप्रदेश में सुदाना विक्रय हेतु सुपरस्टाकिस्ट अपनी सुविधानुसार एमपीसीडीएफ के अंतर्गत पांच पशु आहार संयंत्रों, मांगलिया, पचामा, बण्डोल, सागर एवं शिवपुरी में से किसी भी संयंत्र से सुदाना क्रय कर इसका विक्रय विभिन्न स्थानों में कर सकेगा।
- 8) सुपर स्टकिस्ट को संपूर्ण म.प्र. में नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय स्थापित करना आवश्यक होगा।
- 9) आवेदक के पास सुदाना पशु आहार वितरण/परिवहन हेतु 20 टन क्षमता के कम से कम दो वाहन होना आवश्यक है।
- 10) सुपर स्टकिस्ट को गत वर्ष समान माह में विक्रय हो रही सुदाना पशु आहार मात्रा की तुलना में 10% वृद्धि करना अनिवार्य होगा।
- 11) सुपरस्टाकिस्ट को पशु आहार का भुगतान अग्रिम डी.डी./RTGS/NEFT द्वारा जमा करना होगा।
- 12) सुपरस्टाकिस्ट को विक्रय किया गया सुदाना पशु आहार वापिस नहीं लिया जायेगा।
- 13) सुपरस्टाकिस्ट अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड का पशु आहार विक्रय नहीं करेगा।
- 14) पशु आहार (सुदाना) में होने वाले परिवहन में लोडिंग (संयंत्र की अनुमोदित दर पर) व माल उतराई आदि सभी व्यय सुपरस्टाकिस्ट को वहन करना होंगे।

- 15) सुपरस्टाकिस्ट को निर्धारित दर पर पशु आहार प्रदाय किया जायेगा। समय-समय पर पशु आहार प्रदाय की दरें व M.R.P. परिवर्तनशील रहेंगी जो कि सुपरस्टाकिस्ट को मान्य रहेंगी। सुपरस्टाकिस्ट द्वारा पशु आहार (सुदाना) की मूल पैकिंग को बदला नहीं जावेगा। संयंत्र प्रांगण से पशु आहार बाहर जाने के बाद माल के वजन में कमी अथवा अन्य शिकायतों से संबंधित किसी प्रकार की जवाबदारी संस्था की नहीं रहेगी (परिशिष्ट-‘द’)।
- 16) सुपर स्ट्राकिस्ट को सुदाना पशु आहार प्रदाय करते समय उसकी जॉच-परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने पश्चात् किसी भी प्रकार कम मात्रा, खराब होने आदि की जिम्मेदारी सुपर स्ट्राकिस्ट की रहेगी।
- 17) सफल आवेदक को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार रूपये 1000/- के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।
- 18) पूर्व में दुग्ध संघों में कार्य कर चुके वितरक, अन्य ठेकेदार जिनका किसी भी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण रहा हो एवं वित्तीय अनियमितता हो अथवा ऐसे वितरक जिनको किसी भी संघ द्वारा ब्लेक लिस्टेड किया गया हो तथा दुग्ध संघ के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/संचालक सदस्य/कार्यरत कर्मचारी/स्वयं या परिवार के सदस्य भी सुपरस्टाकिस्ट नियुक्ति हेतु अपात्र रहेंगे।
- 19) सुपरस्टाकिस्ट संघ के विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार-प्रसार हेतु साधन भी उपलब्ध करवायेगा। इस पर होने वाला व्यय भी वहन करना होगा।
- 20) किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल को होगा।
- 21) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रबंध संचालक म.प्र. स्टेट कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।
- 22) नियुक्ति होने के पश्चात सुपरस्टाकिस्ट द्वारा किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात की जाकर सुपरस्टाकिस्ट को कालीसूची में डाला जायेगा।
- 23) सुपरस्टाकिस्ट उपभोक्ताओं को MRP अथवा MRP से कम दर पर ही सुदाना पशु आहार विक्रय किया जाना सुनिश्चित करेंगे। MRP से अधिक दर पर विक्रय होने पर वैधानिक कार्यवाही के लिए सुपरस्टाकिस्ट जिम्मेदार होगा।
- 24) सुपरस्टाकिस्ट को न्यूनतम 500 मे.टन पशु आहार, प्रतिमाह उठाना आवश्यक होगा। इसमें नियुक्ति के प्रथम 6 महिनों के लिए छूट रहेगी।
- 25) सुपरस्टाकिस्ट द्वारा दुग्ध समिति से सुदाना नहीं उठाया जायेगा एवं समिति के सुदाना विक्रय को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर किए जानी वाली कार्यवाही के लिए सुपरस्टाकिस्ट जिम्मेदार होगा।
- 26) सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति प्रथमतः 3 वर्ष के लिए की जावेगी कार्य संतोषप्रद होने पर समिति की अनुशंसा पश्चात् 1-1 वर्ष करके अनुबंध अवधि में अतिरिक्त 2 वर्ष तक की वृद्धि पूर्व में अनुमोदित दरों एवं शर्तों पर की जा सकेगी।
- 27) सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति को एक माह की पूर्व सूचना पर एम.पी.सी.डी.एफ. अथवा सुपरस्टाकिस्ट द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
- 28) आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी, साथ ही बिना पूर्ण दस्तावेज एवं EMD राशि के प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेगे।
- 29) पशु आहार संयंत्रों द्वारा किसी अपरिहार्य कारण से माल की आपूर्ति नहीं की जाती है तो सुपरस्टाकिस्ट किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावेदार नहीं रहेगा।

- 30) निम्नलिखित परिस्थितियों में सुपरस्टाकिस्ट शिप समाप्त कर दी जाएगी –
- (अ) सुपरस्टाकिस्ट द्वारा समस्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर।
 - (ब) क्रय कर्ताओं की उत्पाद से संबंधित शिकायत प्राप्ति पर शिकायत में सुपरस्टाकिस्ट के दोषी पाये जाने पर।
 - (स) सुपरस्टाकिस्ट का पशु आहार विक्रय संतोषप्रद न पाये जाने पर।
- 31) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्यायालय भोपाल रहेगा।
- 32) सुपरस्टाकिस्ट द्वारा वर्तमान में कार्यरत वितरकों का यथावत वितरक रखा जावेगा।

मेरे द्वारा सुदाना पशु आहार सुपर स्ट्राकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं सभी शर्तों को मानने के लिये सहमत हूँ। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 32 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशन का पालन नहीं करता हूँ तो मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात कर मुझे प्रबन्ध द्वारा कालीसूची में डालने का निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

नाम –

हस्ताक्षर

किसी भी न्यायालय/पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

मैं शपथग्रहिता ने एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल द्वारा आमंत्रित
संपूर्ण मध्यप्रदेश/अन्य राज्य हेतु सुदाना पशु आहार सुपरस्टॉकिस्ट की नियुक्ति
प्रक्रिया में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे
विरुद्ध कोई भी न्यायालयीन/आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता
पता :
.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण
कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता
पता :
.....

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल द्वारा आमंत्रित संपूर्ण मध्यप्रदेश/अन्य राज्य हेतु सुदाना पशु आहार सुपरस्टॉकिस्ट प्रक्रिया में मेरे द्वारा आवेदन किया गया है। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मुझे एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता
पता :
.....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्रहिता
पता :
.....

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश/अन्य राज्य
..... हेतु सुदाना पशु आहार सुपरस्टॉकिस्ट की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये
गये है। मेरे द्वारा संपूर्ण मध्यप्रदेश/अन्य राज्य में सुदाना पशु आहार प्रदाय के लिए
आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में, मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं
एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., भोपाल/समस्त सहकारी दुग्ध संघों के माननीय
अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी/संचालक/दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरा
रक्त संबंध नहीं है एवं मैं परिवार का सदस्य नहीं हूँ।

दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

पता :

.....

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र में वर्णित संपूर्ण
कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

दिनांक भोपाल

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

पता :

.....

प्रदेश स्तर पर “सुपरस्टॉकिस्ट” (सुदाना टाईप-II) हेतु दर निर्धारण

क्र.	विवरण	प्रति क्विंटल	50 कि.ग्राम प्रति बैग
1	सुपर स्टॉकिस्ट (प्रदेश स्तर)	Rs. 1550/-	Rs. 775/-
2	वितरक / फुटकर विक्रेता	Rs. 1630/-	Rs. 815/-
3	एम.आर.पी.	Rs. 1800/-	Rs. 900/-

प्रदेश स्तर पर “सुपरस्टॉकिस्ट” (सुदाना सुपर) हेतु दर निर्धारण

क्र.	विवरण	प्रति क्विंटल	50 कि.ग्राम प्रति बैग
1	सुपर स्टॉकिस्ट (प्रदेश स्तर)	Rs. 1700/-	Rs. 850/-
2	वितरक / फुटकर विक्रेता	Rs. 1780/-	Rs. 890/-
3	एम.आर.पी.	Rs. 1950/-	Rs. 975/-

म.प्र. राज्य के बाहर “सुपरस्टॉकिस्ट” (सुदाना टाईप-II) हेतु दर निर्धारण

क्र.	विवरण	प्रति क्विंटल	50 कि.ग्राम प्रति बैग
1	सुपर स्टॉकिस्ट (प्रदेश के बाहर)	Rs. 1550/-	Rs. 775/-
2	वितरक / फुटकर विक्रेता	Rs. 1670/-	Rs. 835/-
3	एम.आर.पी.	Rs. 1950/-	Rs. 975/-

म.प्र. राज्य के बाहर “सुपरस्टॉकिस्ट” (सुदाना सुपर) हेतु दर निर्धारण

क्र.	विवरण	प्रति क्विंटल	50 कि.ग्राम प्रति बैग
1	सुपर स्टॉकिस्ट (प्रदेश के बाहर)	Rs. 1700/-	Rs. 850/-
2	वितरक / फुटकर विक्रेता	Rs. 1820/-	Rs. 910/-
3	एम.आर.पी.	Rs. 2100/-	Rs. 1050/-

अनुबंध

यह अनुबंध आज दिनांक ----- को म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल (जिसे आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया जावेगा) एवं मेसर्स/श्री ----- द्वारा बतौर सुदाना पशु आहार के सुपर स्टाकिस्ट की हैसियत से द्वितीय पक्ष द्वारा सम्पूर्ण मध्यप्रदेश/अन्य राज्य में सुदाना पशु आहार विक्रय के लिए दिनांक 00/00/00 से 00/00/00 (02 वर्ष) तक की अवधि के लिये अनुबंधित कर हस्ताक्षरित किया जा रहा है। जिसे आगे इस अनुबंध में द्वितीय पक्ष को सुपरस्टाकिस्ट के नाम से सम्बोधित किया गया है। इस अनुबंध के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सुपर स्टाकिस्ट, सुदाना पशु आहार विक्रय का कार्य संपादित करेगा।

- 1) यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है, तथा इसके अंतर्गत सुपर स्टाकिस्ट को एक माह की पूर्व सूचना देकर यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। यदि सुपरस्टाकिस्ट इस अनुबंध के तहत कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे प्रथम पक्ष को एक माह की अग्रिम लिखित सूचना सुपरस्टाकिस्ट का कार्य छोड़ने के लिए देनी होगी।
- 2) सुपर स्टाकिस्ट शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण रूपेण जवाबदार होगा तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ हेतु पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही सुपर स्टाकिस्ट के विरुद्ध की जा सकेगी व ऐसी किसी भी कार्यवाही से प्रथम पक्ष पूर्ण रूपेण मुक्त रहेगा।
- 3) सुपर स्टाकिस्ट को समय-समय पर विक्रय वृद्धि हेतु लक्ष्य दिये जावेगे, जिसकी लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना सुपर स्टाकिस्ट के लिए बाध्यता होगी तथा लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने पर इस बाबत प्रबंध पक्ष द्वारा लिये गये निर्णयों को मानने हेतु सुपर स्टाकिस्ट बाध्य होगा।
- 4) संघ द्वारा सुपर स्टाकिस्ट के लोडिंग पर आने वाले वाहन चालक/परिचालक/लेबर को संयंत्र परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो, उसे किसी भी रूप में परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया जावेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर 1000/- प्रतिदिन के हिसाब से दंड वसूल किया जायेगा एवं इसके बाद भी इस शर्त का दुबारा उल्लंघन करते पाये जाने पर सुपर स्टाकिस्ट की नियुक्ति को बिना सूचना दिये निरस्त करने हेतु प्रथम पक्ष पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होगा।
- 5) सुपर स्टाकिस्ट, आबंटित कार्य को किसी अन्य एजेन्सी/सुपरस्टाकिस्ट को किसी भी रूप में अथवा उसका अंश भाग के रूप में हस्तांतरित नहीं करेगा। ऐसा करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष बिना सूचना दिये, सुपरस्टाकिस्ट नियुक्ति को निरस्त कर सकेगा, तथा उसकी अमानत राशि राजसात कर कालीसूची में डाला जा सकेगा।
- 6) सुपर स्टाकिस्ट समय-समय पर प्रथम पक्ष द्वारा प्रोत्साहन हेतु दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु बाध्य होगा एवं यदि यह पाया जाता है कि सुपर स्टाकिस्ट विक्रय प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रयास नहीं कर रहा है या कर पा रहा है, या उसे दिये समय-समय पर दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है जो विक्रय प्रोत्साहन कार्य के लिए आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष अपने व्यवसायिक हितों को सर्वोपरि रखते हुये सुपर स्टाकिस्ट की नियुक्ति समाप्त कर अमानत राशि राजसात करने एवं कालीसूची में डालने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

- 7) सुपर स्टाकिस्ट को अपने वाहन से सुदाना पशु आहार उतनी मात्रा में ले जायेंगा जितनी चालान/देयक में दर्शाई गई है। यदि निर्धारित मात्रा से अधिक सुदाना पशु आहार, वाहन में पाया जाता है तो प्रकरण की जाँच कर अतिरिक्त मात्रा के लिये उसे 50 गुणा राशि तक अर्थदंड किया जा सकेगा जिसे भुगतान करने के लिये वह बाध्य होगा। पुनरावृत्ति होने पर उक्त अर्थदंड के साथ निविदाकार को कालीसूची में दर्ज करते हुए सेवाओं से पृथक कर जमा पूर्तिभूती राशि राजसात की जायेगी।
- 8) सुपर स्टाकिस्ट को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेगें, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध के भाग माने जावेगें।
- 9) इस अनुबंध का न्यायिक कार्यक्षेत्र भोपाल रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन प्रथम पक्ष एवं सुपर स्टाकिस्ट की आपसी सहमति से दिनांक 00/00/2020 को निष्पादित किया गया है।
- 10) यह अनुबंध प्रथम पक्ष एवं सुपर स्टाकिस्ट/द्वितीय पक्ष के वारिसों पर समान रूप से लागू होगा।
- 11) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. भोपाल का निर्णय अन्तिम व दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा।
- 12) उपरोक्त बिन्दुओं के अलावा आवेदन में उल्लेखित अन्य आवश्यक शर्तें भी इस अनुबंध का एक अभिन्न भाग होंगी।

इस अनुबंध पत्र की सभी शर्तों को उभय पक्षों ने अच्छी तरह से पढ़ एवं समझकर आपसी सहमति के आधार पर प्रथम पक्ष कार्यालय में हस्ताक्षर किये हैं, अनुबंध लेख दिनांक..... से 02 वर्षों अथवा किन्ही भी कारणवश अनुबंध पत्र का नवीनीकरण नहीं होने के दशा में, प्रथम पक्ष द्वारा बढ़ाई गई कार्य अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा।

(प्रदेश के बाहर के लिये)

प्रबंध संचालक
एमपीसीडीएफ, भोपाल
(प्रथम पक्ष)

श्री/मेसर्स
सुपर स्टाकिस्ट सुदाना पशु आहार
(द्वितीय पक्ष)

➤ गवाह ◀

1- मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
सहकारी दुग्ध संघ,
हस्ताक्षर
नाम — — — — —
पिता — — — — —
पता — — — — —
— — — — —

1- हस्ताक्षर
नाम — — — — —
पिता — — — — —
पता — — — — —
— — — — —

2- प्रभारी पशु आहार संयंत्र,
.....
हस्ताक्षर
नाम — — — — —
पिता — — — — —
पता — — — — —
— — — — —

2- हस्ताक्षर
नाम — — — — —
पिता — — — — —
पता — — — — —
— — — — —

(प्रदेश के लिये)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
सहकारी दुग्ध संघ, इंदौर

सहकारी दुग्ध संघ, ग्वालियर

सहकारी दुग्ध संघ, जबलपुर

सहकारी दुग्ध संघ, बुंदेलखण्ड

(प्रथम पक्ष)

श्री / मेसर्स

सुपर स्टाकिस्ट सुदाना पशु आहार
(द्वितीय पक्ष)

➤ गवाह ◀

1- प्रभारी,
पशु आहार संयंत्र, मांगलिया.....

पशु आहार संयंत्र, शिवपुरी

पशु आहार संयंत्र, बंडोल

पशु आहार संयंत्र, सागर

1- हस्ताक्षर

नाम - - - - -

पिता - - - - -

पता - - - - -

- - - - -

- - - - -

2- हस्ताक्षर

नाम - - - - -

पिता - - - - -

पता - - - - -

- - - - -

“सुदाना” पशु आहार सुपर स्टॉकिस्ट हेतु अंक तालिका

1. “सुदाना” पशु आहार विक्रय हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति के लिए निम्नानुसार अंक तालिका निर्धारित की गई है।

क्र.	विवरण	अंक पद्धति	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1	टर्न ओवर	विगत 03 वर्षों के कुल न्यूनतम टर्न ओवर रूपये 15.00 करोड़ पर 30 अंक एवं उसके ऊपर प्रत्येक 3.00 करोड़ पर 05 अंक अधिकतम दिये जाएंगे।	45	
2	पशु आहार विक्रय मात्रा मासिक			
	50 टन		5	
	100 टन		10	
	150 टन		15	
3	अन्य उत्पादों की वितरकशिप का अनुभव	प्रत्येक वर्ष के 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक निर्धारित	15	
कुल अंक			90	

नोट :-

1. अधिकतम 90 अंक में से न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करना अनिवार्य रहेगा अन्यथा तकनीकी रूप से अपात्र माना जायेगा।
2. पशु आहार विक्रय की मात्रा की पुष्टि हेतु विगत वर्ष में पशु आहार विक्रय का CA द्वारा डाटा स्टेटमेंट संलग्न करें।